प्रेस विज्ञप्ति

27.06.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इंफाल उप-आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स बिरला एम्पोरियम प्राइवेट लिमिटेड तथा मेसर्स इरा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित मामले में 3.92 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की 13 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। ये संपत्तियां, जो मणिपुर के थौबल, इंफाल पूर्व तथा इंफाल पश्चिम जिलों में स्थित हैं, कंपनी के कर्मचारियों तथा उससे संबद्ध व्यक्तियों के माध्यम से कंपनी के नाम पर पंजीकृत हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत अनुसूचित अपराधों से संबंधित भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 420 तथा 120-बी के तहत सीआईडी (अपराध शाखा), इंफाल द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर जांच प्रारंभ की।

जांच से यह उजागर हुआ कि मेसर्स बिरला एम्पोरियम प्राइवेट लिमिटेड तथा मेसर्स इरा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, जिनका नियंत्रण युमनाम इराबंता सिंह एवं उसके सहयोगियों के पास था, एक अनधिकृत एवं अनियमित जमा योजना संचालित कर रहे थे- जो भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) अथवा राज्य प्राधिकारियों से किसी भी प्रकार के पंजीकरण के बिना बैंक/एनबीएफसी की भांति कार्यरत थी। इन संस्थाओं द्वारा कथित रूप से लगभग 5,511 निवेशकों से 3-5 प्रतिशत मासिक के अत्यधिक प्रतिफल का प्रलोभन देकर लगभग 253 करोड़ रुपये एकत्र किए गए, लगभग 100 करोड़ रुपये संपत्ति के विरुद्ध ऋण के रूप में अग्रिम दिए गए, तथा प्राप्त धनराशि को संपत्तियों, शेयर बाज़ार एवं विदेशी मुद्रा निवेशों में प्रवाहित किया गया। ऋणों को सुरक्षित करने के लिए उधारकर्ताओं की संपत्तियों को विक्रय विलेख के माध्यम से निदेशकों एवं कर्मचारियों के नाम हस्तांतरित कर दिया गया, जबकि उन संपत्तियों पर उनका कोई वास्तविक दावा नहीं था।

वर्तमान कार्रवाई के साथ, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले में अब तक लगभग 65.5 करोड़ रुपये मूल्य की 219 अचल संपत्तियों को कुर्क किया है (इससे पूर्व पीएओ संख्या 02/2025 तथा 05/2025 के माध्यम से लगभग 61.6 करोड़ रुपये मूल्य की 206 अचल संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की जा चुकी थीं, जिनकी पुष्टि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा की जा चुकी है।) इस मामले में 06.06.2025 को माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, इंफाल के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की गई थी, जिस पर न्यायालय द्वारा 18.08.2025 को संज्ञान लिया गया।

आगे की जांच जारी है।